न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 03/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/35

प्रार्थीगण:–	बनाम	अप्रार्थी:–
1. देवेन्द्र भण्डारी पुत्र उत्तमचन्द भण्डारी निवासी राणावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. सम्पतराज भण्डारी पुत्र जीवराज भण्डारी निवासी राणावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी 160 सर्वे नम्बर 47 पेटनी नगर अशोका बुपल चैम्बर्स के सामने एस.पी.रोड सिकन्दराबाद हैदराबाद (तेलंगाना)		ग्राम पंचायत राणावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह चौहान।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/12/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 39/74 अनवान जीवराज बनाम ग्राम पंचायत राणावास में पारित निर्णय दिनांक 31.12.1977 को पुर्नविलोकित कराने हेतु पेश की। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। मूल निगरानी प्रकरण संख्या 39/74 तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मूल निगरानी में न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी का प्लॉट सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क में होना मानकर वर्तमान कब्जे का अतिक्रमण बताया है, जो उचित नहीं है क्योंकि उक्त भूमि का वर्ष 1935 में प्रार्थी संख्या 1 के दादा के पक्ष में पट्टा जारी हो रखा है। प्रार्थी को अपने प्लॉट की कीमत भी विभाग से मुआवजे के रूप में प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी के पूर्वजों के पक्ष में जारी पट्टा सुदा भूमि का सम्पूर्ण प्लॉट सड़क सीमा में नहीं गया है बल्कि उक्त भूखण्ड के 12 बाई 62 वर्गफीट के हिस्से पर आदिनांक तक प्रार्थीगण का कब्जा है। फरवर, 2023 में ग्राम पंचायत राणावास द्वारा प्रार्थीगण को शेष भूखण्ड से बेदखल करने की धमकी देने पर प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। ग्रामवासियों द्वारा पुनः 29.01.2024 को परेशान करने पर प्रार्थीगण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय गये और

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

वहां पर अधिवक्ता ने न्यायालय में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश करने की राय दी तब नियत समय में माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीगण के शेष रहे भूखण्ड के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में तथ्यों की भूल रही है अतः प्रकरण में वर्तमान मौका रिपोर्ट मंगवाकर दस्तावेजों की जांच कर पुनः आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार मूल निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को यथावत् रखे जाने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुये निवदेन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वजों के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था, परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई सड़क में उक्त पट्टे का सम्पूर्ण हिस्सा चला गया था। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था जो कि मूल निगरानी में प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी प्राप्त है। प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के पश्चात् भी विलम्ब के साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कि म्याद बाहर है। न्यायालय हाजा द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच के पश्चात् विधिनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें कोई भी तथ्यात्मक भूल नहीं है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल निगरानी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 39/74 अनवान जीवराज बनाम ग्राम पंचायत राणावास में पारित निर्णय दिनांक 31.12.1977 को पुर्नविलोकित कराने हेतु पेश की। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी फरवरी 2023 में हो गई थी उसके बावजूद उन्होनें 1 वर्ष देरीना उक्त अपील पेश की और उक्त देरीना का कोई उचित कारण नहीं बताया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त तथ्य का खण्डन करते हुये निवेदन किया अप्रार्थी को वर्ष 2023 में जानकारी होने के पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय गये जहा पर अधिवक्ता से प्राप्त राय अनुसार समस्त दस्तावेज प्राप्त कर नियत समय में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया, अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर इसे अन्दर म्याद शुमार फरमावे। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि मूल निगरानी में न्यायालय हाजा द्वारा वर्ष 1977 में अन्तिम निर्णय पारित किया जा चुका था, जो उस समय विधि अनुसार प्रभावी एवं लागू रहा। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा लगभग 46 वर्षों के अत्यधिक विलम्ब के पश्चात् हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि प्रार्थीगण अपने अधिकारों के प्रति लम्बे समय तक पूर्णतः निष्क्रिय एवं उदासीन रहे। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों, मूल निगरानी के संलग्न नकल प्रार्थना पत्र तथा स्वयं प्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि प्रार्थीगण को विवादित आदेश की विधिवत जानकारी फरवरी 2023 में ही प्राप्त हो चुकी थी उसके उपरान्त भी प्रार्थीगण द्वारा लगभग 1 वर्ष की अतिरिक्त देरी से अपील प्रस्तुत की गई, जबकि इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रार्थीगण द्वारा न तो त्वरित विधिक कदम उठाया गया और न ही देरी के प्रत्येक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

दिवस का कोई समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण का यह कथन कि वे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय गए और अधिवक्ता से राय प्राप्त करने के पश्चात् दस्तावेज एकत्र पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश की गई, परन्तु उनके द्वारा न तो माननीय उच्च न्यायालय में दायर किसी याचिका की प्रति पेश की और न ही अधिवक्ता से परामर्श के कोई तथ्य प्रमाण स्वरूप पेश किये यानि प्रार्थीगण ने उक्त कथन के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्य केवल मौखिक कथनों तक समिति है, जिन्हें प्रमाणित करने हेतु कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि केवल कथन के आधार पर विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता।

जहां तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, के शमन का प्रश्न है, तो इस बिन्दु पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अपने निर्णयों में व्यवस्थाऐं प्रदान की हैं। इस सम्बन्ध में आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 939 डी. गोपीनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा–विलम्ब का उपशमन–अपील पेश करने में 3320 दिन का असाधारण विलम्ब–उचित रूप से एवं सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नहीं किया – सहानुभूति आधारों पर न्यायालय विलम्ब उपशमन नहीं कर सकता – असाधारण विलम्ब उपशमन हेतु कारण नहीं दिये गये – निर्णीत, आदेश संहवनीय नहीं है व अपास्त किया।" इसी प्रकार RRD May, 2007 page 311 में यह प्रतिपातिदत किया कि Limitation Act, Section 5-C.P.C., Section 100-delay in filling secong appeal-judgment passed by first appellate court on 16-08-2003-Appeal field by appellant on 19-12-2003 claiming knowledge of judgment on 07.12.2003 No explanation given for not filling appeal immediately-Held, appellant was taking the matter leisurely and at his own convenience-Delay, not condoned. इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिंह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा–5–सिविल प्रक्रिया संहित 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नहीं बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल. पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नहीं – विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के अन्य न्यायिक दृष्टान्त (2013) 14 SCC 81 Basawaraj & Anr. v. Special Land Acquisition Officer के अनुसार "Delay can be condoned only if sufficient cause is shown. Law of limitation has to be applied with all its rigour." इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त (1997) 7 SCC 556 P.K. Ramachandran v. State of Kerala में यह प्रतिपादित किया कि "Courts cannot condone delay on equitable grounds in the absence of satisfactory explanation." उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तों के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रकाश में यह सुस्पष्ट है कि जहां देरी अत्यधिक हो, कारण अस्पष्ट हो तथा दस्तावेजी साक्ष्यों का अभाव हो, वहां विलम्ब क्षमा किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिस पर यह विश्वास किया जा सके तथा उनके आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जा सके। इस कारण हस्तगत प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में विलम्ब को क्षमा करने हेतु जो आधार लिए गए है, वह प्रकरण की वस्तुस्थिति से परे होने से भी उक्त प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया म्याद बाहर है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण मुख्य आधार सड़क सीमा और शेष हिस्से हेतु था जिसके सम्बन्ध में उनका कथन कि उनके पूर्वजों की पट्टा सुदा आराजी का सड़क सीमा में जाने के पश्चात् भी आबाद क्षेत्र में कुछ हिस्सा शेष रहा था, जिस पर उनका आदिनांक तक कब्जा है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु मूल निगरानी का अवलोकन करने पर पाते है कि निगरानीकर्त्ता ने अपनी निगरानी में यह तथ्य अंकित किया कि जैर निगरानी आराजी के पास किसी प्रकार की आम रास्ते की कोई जमीन नहीं है, इसलिये रास्ते की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करने का प्रश्न ही प्रकट नहीं होता। जिसके सम्बन्ध में मूल प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी और प्रकरण में प्राप्त मौका निरीक्षण वृतान्त दिनांक 16.3.1975 के अनुसार "पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग और विवादग्रस्त भूखण्ड के बीच 10 फुट की गली थी, उन्होने यह भी बतलाया कि सायल का भूखण्ड पी.डब्ल्यू.डी मार्ग के निर्माण के समय उसमें आ गया है और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा मुआवजा देना भी तय हो गया है"। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा भी इन्ही तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया था और उपर्युक्त अभिलेखों से यह प्रमाणित है कि सड़क सीमा और विवादित आराजी के मध्य गली थी तथा प्रकरण में निगरानीकर्त्ता के तथ्य साबित नहीं हुये थे, जिसके परिपेक्ष में समस्त विश्लेषण के पश्चात् अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो कि विधिनुसार है। इसके अतिरिक्त यह सुस्थापित विधि है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र में सफल होने के लिये नजरसानी निर्णय को देखने मात्र से त्रुटि प्रकट होना आवश्यक है। ऐसी त्रुटि जो कि स्वयं प्रमाणित नहीं है एवं जिसका निर्धारण तर्क संगत प्रक्रिया से करना होता है। वह अभिलेख को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि की परिधि में नहीं आती है। आलोच्य निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण अलग हो सकता है। किन्तु नजरसानी का आधार नहीं हो सकता। इस प्रकार पुनिर्विलोकन का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2005 (1) पृष्ट 545 सुरेन्द कुमार वकील एवं अन्य बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश एवं अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – A point that has been heard and decided cannot from a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous. इसके अतिरिक्त ए.आई.आर 2014 एस.सी. (सप्ली.) 254 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया है कि – Mere disagreement with view expressed in judgment - or thant other view is possible - Not ground to invoke review

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

jurisdiction - Review jurisdiction can be exercised only when there is glaring omission or patent mistake or when a grave error has crept in judgment.

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 1997 (8) एस.सी.सी. पृष्ठ 715 परसियन देवी व अन्य बनाम सुमित्री देवी व अन्य में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – Review Scope of Jurisdiction-Mistake or error apparent on the face of the record - Is one which is self - evident and does not require a process of reasonging - Distinct from erroneous decision - So rehearing the matter for detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the abmit of reivew jurisdiction - Review jurisdiction cannot be used as appellate jurisdiction. साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 455 श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि – Review - Error apparent on face of record - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions. तथा 2005(1) आर.आर.टी. पेज 545 में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि "that even if a erroneous view taken on a particular issue, it cannot be a ground for review. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में समस्त अभिलेखों का सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि प्रकरण में पूर्व में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया, और निर्णय देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे समक्ष आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये जिससे आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। उपरोक्त आलोक में आलोच्य निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलबध सामग्री का सम्यक् एवं विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया तर्कसंगत एवं विधिक बिन्दुओं पर आधारित है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर प्रकट नहीं होती है। यदि प्रार्थीगण को मुआवजे के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज हो तो वो पृथक से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य निर्णय निरस्त करने का कोई समुचित एवं न्यायोचित कारण प्रकट नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 39/74 अनवान जीवराज बनाम ग्राम पंचायत राणावास में पारित निर्णय दिनांक 31.12.1977 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार, पाली में भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली